छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

/ /अधिसूचना/ /

नया रायपुर, दिनांक 12/07/2017

क्रमांक एफ 10–15/2017/16 :– छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2)(ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

01. कन्या विवाह सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान:–

(i) योजना का नाम **"कन्या विवाह सहायता योजना 2017"** होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की एक पुत्री एवं संस्थानों में स्वयं कार्यरत महिला श्रमिक को रुपये 15,000/– की राशि मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता:–

(i) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिक के एक पुत्री एवं संस्थानों में कार्यरत महिला श्रमिक जो मंडल के अंशदायी है। जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो को पात्रता होंगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व अथवा तिथि के 15 दिवस बाद तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंडल कार्यालय में जमा करना होगा।

(ii) आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदक श्रमिक अथवा श्रमिक की पुत्री का होना चाहिए।

(iii) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग.श्रम कल्याण मंडल को होगा।

(द) विसंगति का निराकरण:–

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए0केरकेट्टा)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

.....2.....

पृष्ठांकन एफ 10–15/2017/16 नया रायपुर, दिनांक 22/07/2017

<u>प्रतिलिपि</u> :–

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नया रायपुर (छ0ग0)।
04. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
05. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
06. अध्यक्ष, छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, पी–3, सी 244, 245, सेक्टर–27, नया रायपुर (छ0ग0)।
07. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, पी–3, सी 244, 245, सेक्टर–27, नया रायपुर (छ0ग0)।
08. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, पी–3, सी 244, 245, सेक्टर–27, नया रायपुर (छ0ग0)।
09. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. गार्ड फाईल।

22/7/17

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग